न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्र निगरानी 2242–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–06–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के प्र. क्र.348/अपील/2013–14 .

राजेन्द्र पुत्र गेंदालालं जैन
निवासी टाण्डा तहसील कुक्षी,
जिला धार म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला धार .....अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–06–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार, कुक्षी के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम टाण्डा स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 262/1 पैकि रकबा 1.000 हेक्टेयर, मद रिजर्व चरनोई में से पैकि रकबा 0.005 हेक्टेयर पर आवेदक राजेंद्र कुमार द्वारा कच्चा मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 237/अ–68/2013–14 दर्ज कर दिनांक 21–2–2014 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक पर रुपये 15,000/– अर्थदण्ड

अधिरोपित किया गया तथा उसे प्रश्नाधीन शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया और यह भी आदेशित किया गया कि आवेदक 3 दिवस में स्वयं अतिक्रमण हटाये और उसके अतिक्रमण नहीं हटाने पर मौजा पटवारी अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करें । यदि आवेदक द्वारा अतिक्रमण हटाने पर विरोध किया जाता है तो आवेदक को सिविल जेल भेजने की कार्यवाही की जावे । नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–6–2014 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण बताया जा रहा है, वह भूमि आवेदक स्वयं की भूमि है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन नहीं किया गया है और न ही उसकी उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि ऐसे अवैध सीमांकन के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण मानना अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख मंगाये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

तर्क के समर्थन में 2007 आरएन 97, 1989 आरएन 313 एवं 1990 आरएन 148 व 185 न्यायदृष्टांत प्रस्तुत करते हुये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वामित्व एवं स्वत्व की है । यह भी कहा गया कि शासन द्वारा प्रश्नाधीन भूमि स्वास्थ्य विभाग को दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत् सीमांकन कराया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर

आवेदक का अवैध अतिक्रमण पाया है । अतः नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने संबंधी जो आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतः विधिसंगत है और उक्त आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें कोई दिनांक अंकित नहीं है कि किस दिनांक को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिस पंचनामे के आधार पर उक्त रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है, उस पंचनामे में उल्लेख है कि हम पंचनान ग्राम टाण्डा के होकर यह पंचनामा तस्दीक करा दिया है कि ग्राम टाण्डा की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 262/1 पैकि रकबा 1.000 हेक्टेयर में से रकबा 0.005 हेक्टेयर पर आवेदक द्वारा कच्चा मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है, परन्तु पंचनामा में ग्राम के किसी भी पंच के हस्ताक्षर नहीं है । पंचनामा में 3 व्यक्तियों के अॅगूठा निशानी एवं एक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं । प्रथम अॅगूठा निशानी ग्राम झगडी के चौकीदार का है, दूसरा अॅगूठा निशानी किसका है, कोई उल्लेख नहीं है, तीसरा अॅगूठा निशानी ग्राम टाण्डा के चौकीदार का है और चौथे हस्ताक्षर इंदरसिंह के हैं, वह भी चौकीदार है । उक्त पंचनामा से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि पंचनामा आवेदक की उपस्थिति में तैयार किया गया है, अतः ऐसे पंचनामे को विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है और ऐसे पंचनामे के आधार पर पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसे भी उचित मान्य नहीं किया जा सकता है, इसलिये पटवारी की ऐसी रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध अवैध अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में यह विचारणीय प्रश्न है कि ग्राम पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि सर्वे कमांक 262/1 के रकबा 0.005 हेक्टेयर पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण होना दर्शाया गया है और नायब तहसीलदार द्वारा उप पंजीयक को जो पत्र लिखा गया है उसमें रकबा 0.005 हेक्टेयर एवं रकबा 0.200 हेक्टेयर पर आवेदक का कब्जा दर्शाया गया है, जो कि

अपने आप में विरोधाभास है । प्रकरण में कोई भी सीमांकन प्रतिवेदन अथवा सीमांकन आदेश संलग्न नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है और प्रश्नाधीन भूमि का बिना सीमांकन किये आवेदक का अवैध अतिक्रमण होना दर्शाया जाना उचित कार्यवाही नहीं है, क्योंकि बिना सीमांकन के यह पता नहीं चल सकता है कि आवेदक का प्रश्नाधीन शासकीय भूमि के किस भाग पर अवैध अतिक्रमण है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ग्राम पटवारी द्वारा अपने कथन में यह स्पष्ट किया गया है कि सर्वे क्रमांक 262/2 कुक्षी–राजगढ मार्ग से लगा होकर राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है और शासकीय भूमि का सर्वे क्रमांक 262/1 का रकबा 1.000 हैक्टेयर है, परन्तु खसरे के अनुसार इस नक्शे में नहीं है तथा सर्वे क्रमांक 262/5 के रूप में जो भूमि दिखाई गई है, उसका इंद्राज खसरे में नहीं है, संभवतः यह भूमि 262/1 का भाग हो सकती है । तर्क के दौरान भी आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नक्शा एवं इंटरनेट से नक्शा निकालकर प्रस्तुत किये गये है, उनमें भी सर्वे क्रमांक 262/1 पटवारी द्वारा रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे में जिस स्थान पर दर्शाया गया है, उस स्थान पर नहीं है । स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण होना बिना प्रमाणित किये बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है ।

2000 आर.एन. 97 चौबालाल तथा एक अन्य विरूद्ध ललितकुमार तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा – 248 – कार्यवाही – अतिक्रामक को नोटिस देने तथा उसकी उपस्थिति में मापने के पश्चात् की जाना चाहिये ।"

इसी प्रकार 1989 आर.एन. 313 हरनारायण विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 248 – सबूत का भार – राज्य शासन पर है – पटवारी का प्रतिवेदन एवं कथन – अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं – अतिक्रमण साबित होना नहीं माना जा सकता। "

1990 आर.एन. 148 हरनारायण विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 248–अतिक्रमण की कार्यवाही – सीमांकन एवं स्थल निरीक्षण अतिक्रामक की उपस्थिति में किया जाना चाहिये – ऐसी प्रकिया का अनुसरण किये बिना अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही अपूर्ण है ।"

जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये बिना ग्राम पटवारी द्वारा अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और नायब तहसीलदार द्वारा साक्ष्य से अवैध अतिक्रमण को प्रमाणित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में भी नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णत विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पटवारी के कथन से स्पष्ट हो जाने के बावजूद भी कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण विधिवत् प्रमाणित नहीं किया गया है, नायब तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, इसलिये उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त द्वारा भी बिना अभिलेख बुलाये व बिना अभिलेख का परिशीलन किये नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2014 तथा अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2014 एवं नायब तहसीलदार, कुक्षी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–2014 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर